न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 45 / 2023 अपील (GCMS 2023/55)
पंजीयन दिनांक – 20 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक – 25.04.2025

श्री शान्तिलाल पिता श्री राजिया भजात, निवासी खाटी कमदी, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री मनजी पिता श्री लालू धन्नात, निवासी खाटी कमदी, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कृपा शंकर मेघवाल अधिवक्ता अपीलांट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2023

निर्णय

दिनांकः 25 / 04 / 2025

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 20.02.2023 के विरूद्ध दिनांक 10.04.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 मनजी को ग्राम खाती कमदी, तहसील झाड़ोल में खसरा नम्बर 1933, 1934, एवं 1935 कुल किता 03 रकबा 0.18 हैक्टर भूमि दिनांक 08.11.2006 को आवंटित की गयी। इस आवंटन आदेश

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

के विरूद्ध अपीलांट ने अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आवंटन निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अति. जिला कलक्टर ने बाद सुनवाई दिनांक 26.10.2010 को खसरा नम्बर 1933 व 1934 का आवंटन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 मनजी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 27.11.2017 को मयाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 16.12.2022 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज कर दी गई।

- अपीलांट द्वारा 12 वर्ष बाद अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां उनके आदेश दिनांक 26.10.2010 में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि सहवन से आदेश में खसरा नम्बर 1935 टंकण होने से रह गया। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपीलांट के इस आवेदन पत्र को दिनांक 20.02.2023 को खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

- अपीलांट द्वारा दिनांक 26.03.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है जिससे अपील विड्रो करना चाहता है। हमने अभिलेख का अवलोकन किया। अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2010 में आवंटित तीन खसरा नम्बरों में से दो खसरा नम्बर 1933 एवं 1934 के आवंटन को निरस्त करने का स्पष्ट आदेश दिया है। आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट मनजी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां प्रस्तुत अपील में अपीलांट शांतिलाल भी पक्षकार था, राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2017 को अपील खारिज कर दी गई। अपीलांट को इसकी पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी 5 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा अति. जिला कलक्टर,

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उदयपुर के यहां आदेश में संशोधन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

- उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को भली भांति प्रकरण से संबंधित तथ्यों का ज्ञान होने के बाद भी 12 वर्ष बाद अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आदेश में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना तथा तत्पश्चात इस न्यायालय में अपील प्रस्तुतीकरण जानबूझकर किया जाने वाला कृत्य है तथा इसको छुपाने के उपक्रम के तहत अब अपील को विड्रो करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रकरण में राजस्व मण्डल के निर्णय के पश्चात अनावश्यक रूप से विशिष्ट प्रयोजन से आवेदन प्रस्तुत करना, फिर पूर्व में अपनाए गए अपीलीय पदानुक्रम के विपरीत व समयावधि का परिहरण कर (Circumventing the earlier Appellate Hierarchy and Limitation) न्यायालय हाजा में अपील पेश करके न्यायालय का समय ही बर्बाद किया है, जिससे अपीलांट का अपील विड्रो का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर।